उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–3
संख्या– 1411(1)/ XXVII(3)पें0 / 2004
देहरादून,दिनांक 02 नवम्बर,2004

कार्यालय ज्ञाप

विषयः राज्य सरकार के सिविल / पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त अनुभाग–3,उत्तरांचल शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1260 / XXVII(3)पें0 / 2004,दिनांक 07 जून,2004 द्वारा महंगाई राहत की एक किस्त 01 जनवरी,2004 से स्वीकृत की गयी थी,जिसके उपरांत कार्यालय ज्ञाप संख्या–1267 / XXVII(3)म0पें0 / 2004,दिनांक 09 जून,2004 के द्वारा 50 प्रतिशत महंगाई राहत के मूल पेंशन में जोड़े जाने के आदेश के क्रम में श्री राज्यपाल ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून,2004 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01 जुलाई,2004 से महंगाई राहत की एक और किश्त 3 प्रतिशत (तीन प्रतिशत) को दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार दिनांक 01 जुलाई,2004 से राहत की दर बढ़कर 14 प्रतिशत हो गई है।

2– महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये से गुणांक में आगणित होगी,उसे अगले रूपये में राउण्ड कर दिया जाय।

3– यह आदेश न्यायालय के न्यायाधीशों,लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों,स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे,उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4 यह आदेश शिक्षा / प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन / पारिवारिक पेंशन अनुमन्य हैं,पर भी लागू होंगे।

5– शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–1–252 / दस / –10(3)–81,दिनांक 27 अप्रैल,1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अंतर्गत महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

Government of Uttaranchal
Finance Section-3
No.1411(1)/XXVII(3)P/2004
Dehradun:Dated 02 November,2004

Office Memorandum

Subject: Grant of Dearness Relief to state Government civil/family pensioner.

The Undersigned is directed to refer to this office memo No.1260 / XXVII(3)पें0 / 2004 dated 07 June,2004 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Dearness Relief with effect from 01 Jan,2004 and Office Memorandumno.1267 / XXVII(3)म0पें0 / 2004, dated 09 June,2004 by which 50% dearness relief was added to pension as dearness pension. Governor is pleased to revise the rates of dearness relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index 306.66(as on 01.01.1996) at the rate of 3% with effect from 01 July,2004 in super session of the rates mentioned in the O.M.dated 07 June,2004 refered to above accordingly the rate of dearness relief of pension/family pension w.e.f. 01.07.2004 has risen to 14%.

2. Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded off to next higher rupee.

3. These orders will not be applicable to the Judges of High Court,Chairman and Members of Uttaranchal Public Service Commission, employees of local bodies and Public undertaking/corporation etc. in respect of whom seperate orders will have to be issued by respective departments.

4. These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institution aided from state under the Education/ Technical Education department whose pension /family pension is at par with the pensioners of the state government.

5. As per orders issued in O.M.No. A-1-252/X-10(3)-81,dated April 27,1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief as admissible under this O.M. shall be made by the paying authorities/Public Sector Banks.

6— महंगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में अन्य प्रतिबंध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे,यथावत लागू रहेंगे।

राधा रतूड़ी
सचिव।

संख्या–1411(1)/ XXVII(3)पे0 / 2004,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,उत्तरांचल,दे0दून
2 समस्त जिलाधिकारी / कार्यालयाध्यक्ष,उत्तरांचल।
3 क्षेत्रीय अपर निदेशक,कोषागार एवं पेंशन,गढवाल / कुमाऊं मण्डल।
4 निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तरांचल।
5 महालेखाकार,उत्तरांचल,ओबराय भवन,माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6 समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तरांचल।
7 उप–निदेशक,राजकीय मुद्रणालय,रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की
8 निदेशक,एन0आई0सी0,देहरादून।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव

6. Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

Radha Raturi
Secretary

No.1411(1)/XXVII(3)P/2004,the date

Copy forwarded to following for information and necessary action.

1. All Principal Secretaries/Secretaries Governement of Uttaranchal.
2. All Head of eprtment/Offices,Uttaranchal.
3. Regional Additional Director Treasury and Pension Garhwal/Kumaon Division.
4. Director Treasury and Finance services, Uttaranchal.
5. Accountant General Uttaranchal. Oberoy Building, Mazra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
6. All Treasury Officers,Uttaranchal.
7. Deputy Director,Govt.Press,Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be got printed and sent to the Govt. please.
8. Director,NIC,Dehradun.

By Order,

(T.N.Singh)
Addl.Secretary